संचिका संख्या–01/C.L.–10–05/2026, श्र०सं०....4651

बिहार सरकार

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

प्रेषक,

राजेश भारती, भा०प्र०से०

श्रमायुक्त, बिहार।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

कैमूर (भभुआ), सारण (छपरा) एवं अरवल।

पटना, दिनांक– 10/8/26

विषयः– **विमुक्त बाल श्रमिकों को मुख्यमंत्री राहत कोष से राशि उपलब्ध कराने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक–12 जून, 2016 को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री ने बाल श्रम से विमुक्त कराये गये एवं CLTS में दर्ज बाल श्रमिकों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से रू० 25,000 प्रति विमुक्त बाल श्रमिक उपलब्ध कराने की घोषणा की थी, जिसके आलोक में मुख्यमंत्री राहत कोष से षष्ठम किस्त की राशि प्राप्त हो चुकी है। उक्त राशि प्रत्येक विमुक्त बाल श्रमिक के नाम से उनके 18 वर्ष की उम्र प्राप्त होने तक Fixed Deposit (FD)/Annuity Scheme में निवेशित की जायेगी, जिससे प्राप्त सूद/ब्याज की राशि प्रति माह उनके बैंक खाते में प्राप्त होगी, जिसका वे आवश्यकतानुसार सदुपयोग कर सकेगें। FD की अवधि इस तरह से रखना है कि अधिकतम लाभ मिले एवं 18 वर्ष की उम्र तक Auto renewal होती रहे। 18 वर्ष की उम्र पूर्ण करने के उपरांत पूरी राशि बाल श्रमिक को प्राप्त हो सकेगी।

सम्प्रति कतिपय कारणों से CLTS पोर्टल के क्रियाशील नहीं रहने के कारण विमुक्त बाल/किशोर श्रमिकों का विवरण पोर्टल में अपलोड नहीं हो पा रहा है। सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि CLTS पोर्टल के क्रियाशील होने तक सभी पात्र विमुक्त बाल/किशोर श्रमिकों को जिलाधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर रू० 25,000/– के Annuity Scheme का लाभ इस शर्त्त के साथ दिया जाय कि CLTS पोर्टल के क्रियाशील होने पर बाल/किशोर श्रमिकों से संबंधित सभी आवश्यक प्रविष्टियाँ अविलम्ब कर ली जायेगी।

क्र० सं०	जिला	Child ID No.	बाल श्रमिक का नाम	विमुक्ति की तिथि	अभियोजन/ एफ०आई०आर०
1	कैमूर (भभुआ)	---	Ramjan Shah	19.08.2025	402/25
2		---	Vivek Kumar	04.12.2025	374/25
3		---	Arif Alam	18.12.2025	1009/25
4	सारण (छपरा)	---	Sagar Kumar	12.05.2026	151/2026
5		---	Sujit Kumar	12.05.2026	151/2026
6		---	Pradip Kumar	30.05.2026	217/2026
7		---	Md. Reyaz	30.05.2026	297/2026
8	अरवल	---	हरिष आलम	27.01.2026	92/26
9		---	खुश्बु प्रवीन	27.01.2026	92/26

उपर्युक्त विवरणी के आलोक में विमुक्त बाल श्रमिकों हेतु मुख्यमंत्री राहत कोष से @25,000/- प्रति बाल श्रमिक के दर से जिलावार निम्न प्रकार से भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जिला	खाताधारी का पदनाम	खाता संख्या	IFSC कोड	बाल श्रमिकों की संख्या	बाल श्रमिकों की सं० एवं अनुमान्य राशि	राशि रुपये में	जिलाधिकारी / श्रम अधीक्षक द्वारा प्रेषित अधियाचना का विवरण
कैमूर (भभुआ)	जिला पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ)	364540 25761	SBIN0001099	03	03@25000	75,000/-	पत्रांक–802, दिनांक–28.07.2026
सारण (छपरा)	जिला पदाधिकारी, सारण (छपरा)	362464 35583	SBIN0016621	04	04@25000	1,00,000/-	पत्रांक–1614, दिनांक–21.07.2026
अरवल	जिला पदाधिकारी, अरवल	364253 80551	SBIN0008435	02	02@25000	50,000/-	पत्रांक–498, दिनांक–22.07.02026
कुल				09	**09@25000**	2,25,000/–(दो लाख पचीस हजार)	

अतः अनुरोध है कि उपलब्ध करायी जा रही राशि से सत्यापित, अधियाचित एवं CLTS Software में दर्ज पात्र बाल श्रमिक को ही लाभ दिया जाय एवं लाभ देने के उपरांत साक्ष्य सहित प्रतिवेदन विभाग को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

राशि के उपयोग के उपरांत उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराने की भी कृपा की जाय। भुगतान करने के पूर्व अच्छी तरह से जाँच कर लिया जाय कि विमुक्त बाल श्रमिकों को पूर्व में राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

विश्वासभाजन

(राजेश भारती)
श्रमायुक्त, बिहार

ज्ञापांकः–01 / C.L.–10–05 / 2026, श्र०सं०........ 4651 पटना, दिनांक– 10/8/26

प्रतिलिपिः–श्रम अधीक्षक / श्रम अधीक्षक (अधिनियम), कैमूर (भभुआ), सारण (छपरा) एवं अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेश दिया जाता है कि विमुक्त बाल श्रमिकों को यथाशीघ्र राशि उनके खाते में अंतरित कराना सुनिश्चित करें साथ ही इस कार्य में जिलाधिकारी को अपना पूर्ण सहयोग दें।

श्रमायुक्त, बिहार

ज्ञापांकः–01 / C.L.–10–05 / 2026, श्र०सं०........ 4651 पटना, दिनांक– 10/8/26

प्रतिलिपिः–आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

श्रमायुक्त, बिहार

ज्ञापांकः–01 / C.L.–10–05 / 2026, श्र०सं०........ 4651 पटना, दिनांक– 10/8/26

प्रतिलिपिः–शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन, शाखा बेली रोड, पटना।

आपको निदेश दिया जाता है कि आप Secretary to Labour Commissioner के **खाता सं0–36274069859 को उपरोक्त विवरणी के अनुसार RTGS/NEFT** के माध्यम से राशि को Debit कर संबंधित खातों में Credit किया जाय।

(गणेश कुमार झा)
श्रमायुक्त के सचिव